

7
21/8/25
वदीगण / प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित।
अप्राची सं. 1 की तलवी की डिप्लिड रिपोर्ट
पेश की। अप्राची सं. 1 उपस्थित नहीं।
अप्राची सं. 1 को उपस्थित होने हेतु
साध्य किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/8/25
को पेश हो।

20/8
25
प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची सं. 1
उपस्थित नहीं। अप्राची सं. 1 को नक-2
कर 3 बार आवाज लगाई गई। कोई
उपस्थित नहीं आया। अप्राची सं. 1 के
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के अदेश दिए
जाते हैं। बहस प्राचीगण अधिवक्ता सुनी
गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
लिहाजा प्राचीगण का प्राचीना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 R.A.A. अली-भांति साबित होने
पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17/06/25
मूलवाद के निणय तक स्थायी की जाती है।
पत्रावली मूल निणय होकर गम्बरु से कम
होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



सहायक कलेक्टर एवं सदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)